

28¹⁰/₂₄

पत्रावली पेशा हुई। प्रार्थी और उनके अधिवक्ता
अनुपस्थित रहे। पत्रावली के अनवान के
अनुसार तीन बार आवार्जें लगाई जाने के
बावजूद प्रार्थी और उनके अधिवक्ता अनु-
पस्थित रहे हैं। अतः प्रकरण अदम हाजरी
और अदम फेरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फेरसल शुमार लेकर नंबर
से कम हो।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पाली